18. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । अतः, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय में कोई कमी या अवैधता नहीं पाते हैं । परिणामतः, अभियुक्त द्वारा फाइल की अपील में कोई सार न होने के कारण इसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

[2019] 1 उम. नि. प. 40

शमन्ना और एक अन्य

बनाम

प्रभागीय प्रबंधक, ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि. और अन्य

8 अगस्त, 2018

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 149 – पर-व्यक्ति जोखिम – बीमाकर्ता का दायित्व – संदाय करने और वसूली करने का सिद्धांत – उपेक्षापूर्वक यान चलाने के कारण अचानक यान का द्वार खुलने पर यात्री की मृत्यु – यान के चालक द्वारा विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारण न करना – पर-व्यक्ति जोखिम की दशा में, बीमा पालिसी की शर्तों का भंग होने पर, बीमा कंपनी, दावाकर्ता को प्रतिकर की रकम का संदाय करने के लिए दायी होती है किन्तु बाद में उसके द्वारा प्रतिकर के एवज में संदत्त रकम को वह यान के स्वामी से वसूल करने की हकदार होती है ।

प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं का पुत्र एक जीप में यात्रा कर रहा था । उस जीप को उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था जिसके कारण अचानक जीप का द्वार खुल गया और वह यान से बाहर गिर गया और उसे गंभीर क्षतियां कारित हुईं तथा उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई ।

अपीलार्थियों/मृतक के माता-पिता द्वारा फाइल की गई दावा याचिका में अधिकरण ने दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित 3,55,500/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया । चूंकि जीप के चालक के पास दुर्घटना के समय विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी और चूंकि बीमा पालिसी के निबंधनों का अतिक्रमण किया गया था, इसलिए अधिकरण ने बीमा कंपनी को दावाकर्ताओं को प्रतिकर का संदाय करने का निदेश दिया और बीमा कंपनी को उसकी वसूली उल्लंघनकारी यान के स्वामी से करने की स्वतंत्रता प्रदान की । बीमा कंपनी ने, उस अधिनिर्णय से व्यथित होकर, जिसके द्वारा बीमाकर्ता को यह निदेश दिया गया था कि वह दावाकर्ताओं को प्रतिकर की रकम का संदाय करे और यान के स्वामी से उसकी वसूली करे, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । दावाकर्ताओं ने भी प्रतिकर में वृद्धि करने की ईप्सा करते हुए अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन केवल उच्चतम न्यायालय को अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बीमा कंपनी को यह निदेश देने की शक्ति निहित की गई है कि वह दावाकर्ताओं को संदाय करे और यान के स्वामी से उसकी वसूली करे और ऐसी शक्ति उच्च न्यायालय या अधिकरण में निहित नहीं है तथा उसने अधिकरण द्वारा पारित उस अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया जिसमें बीमा कंपनी को यह निदेश दिया गया है कि वह दावाकर्ताओं को प्रतिकर का संदाय करे और यान के स्वामी से उसकी वसूली करे । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का संदाय करने के लिए केवल उल्लंघनकारी यान का स्वामी ही दायी है । उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर को 3,55,500/- रुपए से बढ़ाकर 4,94,700/- रुपए कर दिया । उच्च न्यायालय ने आश्रितता की हानि का अवधारण करने के लिए मृतक शंकरेप्पा की आयु को विचार में लिया है और 14 के गुणज की बजाय 18 के गुणज को अंगीकार किया । अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं ने, उच्च न्यायालय के उस निर्णय से व्यथित होकर, जिसके द्वारा बीमा कंपनी को दिए गए "संदाय करने और वसूली करने" संबंधी निदेश को अपास्त कर दिया गया था, यह अपील फाइल की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह साबित करने का भार सदैव बीमा कंपनी पर होता है कि चालक के पास कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी और यह कि पालिसी की शर्तों का भंग किया गया था । जहां चालक के पास विधिमान्य

चालन अनुज्ञप्ति न हो और पालिसी की शर्तों का भंग किया गया हो वहां पर-व्यक्ति जोखिमों की दशा में "संदाय करने और वसूली करने" संबंधी आदेश किया जा सकता है । अधिकरण से इस प्रश्न पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि स्वामी ने इस बात का पता लगाने के लिए कि चालक द्वारा प्रस्तुत की गई चालन अनुज्ञप्ति विधि की अपेक्षाओं को पूरा करती है अथवा नहीं, युक्तियुक्त सावधानी बरती है अथवा नहीं । (पैरा 7)

चूंकि पर्वतनेनी वाले मामले में बृहत्तर न्यायपीठ को किए गए निर्देश का निपटारा विधि संबंधी प्रश्नों को किसी समुचित मामले में विनिश्चित करने के लिए छोड़ दिया गया है इसलिए वर्तमान में, स्वर्ण सिंह वाला विनिश्चय लागू रहेगा । अधिकरण द्वारा पारित वह अधिनिर्णय, जिसके द्वारा बीमा कंपनी को यह निदेश दिया गया है कि वह दावाकर्ताओं को अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का संदाय करे और उसके पश्चात् उसे प्रश्नगत यान के स्वामी से वसूल करे, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार है । उच्च न्यायालय को अधिकरण द्वारा पारित उस अधिनिर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी को संदाय करने और यान के स्वामी से वसूल करने का निदेश दिया गया था । उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय, जिसके द्वारा बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त किया गया है और दावाकर्ताओं को यह निदेश दिया गया है कि वे यान के स्वामी से प्रतिकर वसूल करें, अपास्त किया जाता है और अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय प्रत्यावर्तित किया जाता है । (पैरा 12)

जहां तक यान के स्वामी से रकम की वसूली करने का संबंध है, बीमा कंपनी को बीमाकृत व्यक्ति से उसकी वसूली करने के लिए वाद फाइल करने की आवश्यकता नहीं है । वह संबंधित कार्यपालक न्यायालय के समक्ष इस प्रकार कार्यवाही संस्थित कर सकेगा मानो बीमाकर्ता और स्वामी के बीच विवाद अधिकरण के समक्ष अवधारण की विषयवस्तु था और वह विवाद्यक स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में विनिश्चित किया गया है । (पैरा 13)

परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय, जहां तक उसका संबंध प्रतिकर को बढ़ाकर 4,94,700/- रुपए तक करने से है, अभिपुष्ट किया जाता है । जहां तक आक्षेपित निर्णय में दिए गए उस निदेश का संबंध है जिसमें अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं को यान से स्वामी के प्रतिकर की वसूली करने का निदेश दिया गया है, अपास्त किया जाता है । प्रथम प्रत्यर्थी बीमा कंपनी अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं को प्रोद्भूत ब्याज सहित

वृद्धित प्रतिकर का संदाय करेगी और बीमा कंपनी उसकी वसूली यान के स्वामी से करेगी । (पैरा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] मनु/के.ए./0945/2012 = आई.एल.आर. 2012 कर्नाटक 5241 : **ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **के. सी. सुब्रमण्यम्** ; 4

[2009] (2009) 8 एस. सी. सी. 785 : **नेशनल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **पर्वतनेनी और एक अन्य** ; 11

[2008] (2008) 3 एस. सी. सी. 193 : **प्रेम कुमारी** बनाम **प्रहलाद देव और अन्य** ; 8

[2007] (2007) 7 एस. सी. सी. 56 : **ओरियंटल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **ब्रज मोहन और अन्य** ; 10

[2007] (2007) 3 एस. सी. सी. 700 : **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **लक्ष्मी नारायण धूत** ; 8

[2005] (2005) 12 एस. सी. सी. 243 : **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **बोमिती सुभायामा और अन्य** ; 9

[2004] [2004] 3 उम. नि. प. 24 = (2004) 3 एस. सी. सी. 297 : **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **स्वर्ण सिंह और अन्य** ; 6

[2004] (2004) 13 एस. सी. सी. 224 : **ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **नंजाप्पन और अन्य** । 13

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 8144.

2010 की प्रकीर्ण प्रथम अपील सं. 24534 (मोटर यान) में कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ न्यायपीठ के तारीख 14 सितम्बर, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से — सर्वश्री मंजुनाथ मेलेड, अनिल कुमार, रविन्द्र सिंह और (सुश्री) आस्था शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. बानुमती – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील 2010 की प्रकीर्ण प्रथम अपील सं. 24534 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 14 सितम्बर, 2016 के निर्णय से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा "संदाय करने और वसूली करने" के लिए पारित अधिनिर्णय को यह अभिनिर्धारित करते हुए उलट दिया था कि यान का स्वामी अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी है । उच्च न्यायालय ने प्रतिकर को 3,55,500/- रुपए से बढ़ाकर 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित 4,94,700/- रुपए कर दिया था ।

3. अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं का पुत्र शंकरेप्पा पत्तार तारीख 14 अप्रैल, 2008 को एक जीप में, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. केए-22/एम-3805 था, यात्रा कर रहा था । उस जीप को उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था जिसके कारण अचानक जीप का द्वार खुल गया और शंकरेप्पा यान से बाहर गिर गया और उसे गंभीर क्षतियां कारित हुईं तथा उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई । अपीलार्थियों/मृतक शंकरेप्पा के माता-पिता द्वारा फाइल की गई दावा याचिका में अधिकरण ने दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित 3,55,500/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया । चूंकि जीप के चालक के पास दुर्घटना के समय विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी और चूंकि बीमा पालिसी के निबंधनों का अतिक्रमण किया गया था, इसलिए अधिकरण ने बीमा कंपनी को दावाकर्ताओं को प्रतिकर का संदाय करने का निदेश दिया और बीमा कंपनी को उसकी वसूली उल्लंघनकारी यान के स्वामी से करने की स्वतंत्रता प्रदान की ।

4. बीमा कंपनी ने, उस अधिनिर्णय से व्यथित होकर, जिसके द्वारा बीमाकर्ता को यह निदेश दिया गया था कि वह दावाकर्ताओं को प्रतिकर की रकम का संदाय करे और यान के स्वामी से उसकी वसूली करे, उच्च

न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । दावाकर्ताओं ने भी प्रतिकर में वृद्धि करने की ईप्सा करते हुए अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने **ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **के. सी. सुब्रमण्यम्**[1] वाले मामले में अपने निर्णय के प्रति निर्देश किया और यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बीमा कंपनी को यह निदेश दिया है कि वह दावाकर्ताओं को संदाय करे और यान के स्वामी से उसकी वसूली करे । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में निहित की गई है और ऐसी शक्ति उच्च न्यायालय या अधिकरण में निहित नहीं है तथा उसने अधिकरण द्वारा पारित उस अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया जिसमें बीमा कंपनी को यह निदेश दिया गया है कि वह दावाकर्ताओं को प्रतिकर का संदाय करे और यान के स्वामी से उसकी वसूली करे । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का संदाय करने के लिए केवल उल्लंघनकारी यान का स्वामी ही दायी है । उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर को 3,55,500/- रुपए से बढ़ाकर 4,94,700/- रुपए कर दिया । उच्च न्यायालय ने आश्रितता की हानि का अवधारण करने के लिए मृतक शंकरेप्पा की आयु को विचार में लिया है और 14 के गुणज की बजाय 18 के गुणज को अंगीकार किया । अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं ने, उच्च न्यायालय के उस निर्णय से व्यथित होकर, जिसके द्वारा बीमा कंपनी को दिए गए "संदाय करने और वसूली करने" संबंधी निदेश को अपास्त कर दिया गया था, यह अपील फाइल की है ।

5. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउन्सेलों की सुनवाई की है । हमने आक्षेपित निर्णय की संवीक्षा की है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया है ।

6. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **स्वर्ण सिंह और अन्य**[2] वाले मामले में के विनिश्चय के अनुसार पर-व्यक्ति जोखिमों के मामले में बीमाकर्ता को पर-व्यक्ति को संदेय प्रतिकर की रकम की क्षतिपूर्ति करनी होती है और बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति से उसकी वसूली कर सकती है । "संदाय करने और वसूली करने" के सिद्धांत पर उच्चतम न्यायालय

---

[1] मनु/के.ए./0945/2012 = आई.एल.आर. 2012 कर्नाटक 5241.

[2] [2004] 3 उम. नि. प. 24 = (2004) 3 एस. सी. सी. 297.

द्वारा **स्वर्ण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में विचार किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने चालक की निरर्हताओं या चालक की अविधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति के कारण पालिसी की शर्तों के भंग की दशाओं में बीमा कंपनी के दायित्व की परीक्षा की थी और यह अभिनिर्धारित किया था कि पर-व्यक्ति जोखिमों के मामले में, बीमाकर्ता को पर-व्यक्ति की प्रतिकर की रकम की क्षतिपूर्ति करनी होती है और बीमा कंपनी उसकी वसूली बीमाकृत व्यक्ति से कर सकती है । उच्चतम न्यायालय ने, पर-व्यक्तियों के दावों के संबंध में बीमाकर्ता के संविदात्मक दायित्व तथा कानूनी दायित्व पर विस्तारपूर्वक विचार करते हुए, इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए कि "संदाय करने और वसूली करने" संबंधी आदेश किस प्रकार और किन परिस्थितियों में किया जा सकता है । उच्चतम न्यायालय ने, पैरा 110 में अपने निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार कथित किया है :–

"110. इन याचिकाओं में उठे विभिन्न विवाद्यकों से संबंधित हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है –

(i) मोटर यान अधिनियम, 1988 का अध्याय 11, जिसमें पर-व्यक्तियों के जोखिमों के विरुद्ध यानों के अनिवार्य बीमा के लिए उपबंध है, मोटर यानों के प्रयोग के द्वारा कारित दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर द्वारा अनुतोष प्रदान करने के लिए एक समाज कल्याणकारी विधान है । सभी यानों का अनिवार्य बीमा सुरक्षा उपबंध इस सर्वोपरि उद्देश्य की दृष्टि से है और अधिनियम के उपबंधों का निर्वचन उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए ।

(ii) बीमाकर्ता मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163क या धारा 166 के अधीन फाइल दावा याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिनियम की धारा 149(2)(क)(ii) के निबंधनों के अनुसार प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का हकदार है ।

(iii) बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए पालिसी की शर्त का भंग अर्थात् अधिनियम की धारा 149 की उपधारा 2(क)(ii) में यथाअंतर्विष्ट चालक अयोग्यता या चालक द्वारा अविधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति को बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया गया साबित होना चाहिए । मात्र चालन अनुज्ञप्ति का न होना, उसका जाली या अविधिमान्य होना या सुसंगत समयबिंदु पर यान चालन के लिए चालक की अयोग्यता स्वयमेव ही बीमाकृत

व्यक्ति या पर-व्यक्ति के विरुद्ध बीमाकर्ता को उपलब्ध प्रतिरक्षाएं नहीं है । बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध अपने दायित्व से बचने के लिए बीमाकर्ता को यह साबित करना चाहिए कि बीमाकृत व्यक्ति उपेक्षा का दोषी था और वह सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सुसंगत समय पर यान के चालन के लिए अयोग्य नहीं था, यानों के प्रयोग के संबंध में पालिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में युक्तियुक्त सावधानी बरतने में विफल रहा ।

(iv) तथापि, बीमा कंपनियों को अपने दायित्व को टालने के लिए न केवल उक्त कार्यवाहियों में उपलब्ध प्रतिरक्षा(ओं) को सिद्ध करना चाहिए अपितु यान के स्वामी की ओर से 'भंग' को भी सिद्ध करना चाहिए ; जिसके सबूत का भार उन पर होगा ।

(v) न्यायालय इस प्रकार का कोई मानदंड अधिकथित नहीं कर सकता है कि उक्त भार का किस प्रकार निर्वहन किया जाएगा क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।

(vi) यहां तक कि जहां बीमाकर्ता चालक द्वारा विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने या सुसंगत अवधि के दौरान यान चालन की अपनी अर्हता से संबंधित पालिसी की शर्त से संबंधित बीमाकृत व्यक्ति के भंग को साबित कर देता है तो उसे (बीमाकर्ता को) उस समय तक बीमाकृत व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व को टालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि चालन अनुज्ञप्ति की शर्तों के उक्त भंग इतने मौलिक हैं कि उनसे वह दुर्घटना के संभावी हैं । पालिसी की शर्तों का निर्वचन करते समय अधिकरण अधिनियम की धारा 149(3) के अधीन बीमाकृत व्यक्ति को उपलब्ध प्रतिरक्षाओं को अनुज्ञात करने से संबंधित 'मूल भंग' की संकल्पना और 'मुख्य प्रयोजन के नियम' को लागू करेंगे ।

(vii) यह प्रश्न कि क्या स्वामी ने यह पता लगाने कि क्या युक्तियुक्त बरती गई सावधानी चालक द्वारा प्रस्तुत चालन अनुज्ञप्ति (जाली अनुज्ञप्ति या अन्यथा) विधि की अपेक्षा को पूरा नहीं करती है या नहीं, प्रत्येक मामले में अवधारित किया जाएगा ।

(viii) यदि यान दुर्घटना के समय ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी तो बीमा कंपनियां डिक्री की तुष्टि करने की दायी होंगी ।

(ix) धारा 168 के साथ पठित धारा 165 के अधीन गठित दावा अधिकरण मोटर यान के प्रयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, जिनमें पर-व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या उसकी संपत्ति को नुकसान अंतर्वलित होता है, के संबंध में सभी दावों का न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम है । अधिकरण की उक्त शक्ति एक ओर दावाकर्ता या दावाकर्ताओं और दूसरी ओर बीमाकृत व्यक्ति, बीमाकर्ता और चालक के मध्य के आंतरिक दावों का विनिश्चय करने तक निर्बंधित नहीं है । प्रतिकर के दावे का न्यायनिर्णयन और बीमाकर्ता को उपलब्ध प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षाओं की उपलब्धता का विनिश्चय करने के दौरान अधिकरण को बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के मध्य के परस्पर विवादों का विनिश्चय करने की अवश्यमेव ही शक्ति और अधिकारिता प्राप्त है । दावाकर्ता द्वारा प्रतिकर के दावे के न्यायनिर्णयन और इस पर किए गए अधिनिर्णय के दौरान बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के मध्य के परस्पर दावों और विवादों पर दिया गया विनिश्चय दावाकर्ताओं के पक्ष में अधिनिर्णय के प्रवर्तन और निष्पादन के लिए अधिनियम की धारा 174 में यथाउपबंधित रीति में प्रवर्तनीय और निष्पादनीय है ।

(x) जहां अधिनियम के अधीन दावे का न्यायनिर्णयन करने पर अधिकरण का यह निष्कर्ष हो कि बीमाकर्ता ने उपधारा (7) के साथ पठित धारा 149(2) के उपबंधों के अनुसार अपनी प्रतिरक्षा को संतोषप्रद रूप से साबित कर दिया है, जैसाकि इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्वचन किया गया, अधिकरण यह निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता प्रतिकर और उन धनराशियों के संबंध में जिनका संदाय करने के लिए उस अधिकरण के अधिनिर्णय के अधीन पर-व्यक्ति को संदाय करने के लिए बाध्य किया गया है बीमाकृत व्यक्ति को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है । अधिकरण द्वारा दावे का इस प्रकार अवधारण प्रवर्तनीय होगा और बीमाकृत व्यक्ति से बीमाकर्ता को देय ठहराई गई धनराशि राजस्व के रूप में अधिनियम की धारा

174 के अधीन दी गई रीति में अधिकरण द्वारा कलक्टर को जारी प्रमाणपत्र पर वसूल की जाएगी । प्रमाणपत्र भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली के लिए केवल तभी जारी किया जाएगा यदि जैसा कि अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित है, बीमाकृत व्यक्ति अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय की घोषणा की तारीख से बीस दिनों के भीतर बीमाकर्ता के पक्ष में अधिनिर्णीत धनराशि जमा करने में असफल रहता है ।

(xi) उपधारा (4) के परंतुक के साथ इसके उपबंधों और उपधारा (5) जिनमें बीमाकृत व्यक्ति की ओर से बीमा की संविदा के अधीन संदत्त धनराशि वसूल करने के लिए बीमाकर्ता को समर्थ बनाने के लिए इसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट आकस्मिकता आशयित है, का आश्रय अधिकरण द्वारा लिया जा सकता है और इन्हें ऐसे मामलों में जहां दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के पारस्परिक दावों के न्यायनिर्णयन में विलंब होगा, बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध बीमाकर्ता की प्रतिरक्षाओं और दावों को नियमित न्यायालय में उपचार माना जा सकता है ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

7. **स्वर्ण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में किए गए विनिश्चय के अनुसार, यह साबित करने का भार सदैव बीमा कंपनी पर होता है कि चालक के पास कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी और यह कि पालिसी की शर्तों का भंग किया गया था । जहां चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति न हो और पालिसी की शर्तों का भंग किया गया हो वहां पर-व्यक्ति जोखिमों की दशा में "संदाय करने और वसूली करने" संबंधी आदेश किया जा सकता है । अधिकरण से इस प्रश्न पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि स्वामी ने इस बात का पता लगाने के लिए कि चालक द्वारा प्रस्तुत की गई चालन अनुज्ञप्ति विधि की अपेक्षाओं को पूरा करती है अथवा नहीं, युक्तियुक्त सावधानी बरती है अथवा नहीं ।

8. उच्चतम न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **लक्ष्मी नारायण धूत**[1] वाले पश्चात्वर्ती विनिश्चय में **स्वर्ण सिंह** (उपर्युक्त)

[1] (2007) 3 एस. सी. सी. 700.

वाले विनिश्चय पर विचार किया जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि **स्वर्ण सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में का विनिश्चय पर-व्यक्ति जोखिमों से भिन्न मामलों को लागू नहीं होता है और पर-व्यक्ति जोखिमों की दशा में बीमाकर्ता को रकम की क्षतिपूर्ति करनी होती है और यदि इस प्रकार सलाह दी जाए तो बीमाकृत व्यक्ति से उसकी वसूली करनी होती है । यही सिद्धांत **प्रेम कुमारी** बनाम **प्रहलाद देव और अन्य**[1] वाले मामले में भी दोहराया गया था ।

9. हम अपनी कार्यवाही को पूरा करने की दृष्टि से ऐसे कुछ निर्णयों के प्रतिनिर्देश कर सकते हैं जिनमें पालिसी की शर्तों की भंग मौलिक था और उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया था कि बीमा कंपनियां प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं थीं । **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **बोमिती सुभायामा और अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को उलट दिया था जिसमें माल यान में वहन किए जा रहे मुफ्त यात्रियों की बाबत प्रतिकर के संदाय के लिए बीमा कंपनी को दायी बनाया गया था ।

10. **ओरियंटल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **ब्रज मोहन और अन्य**[3] वाले मामले में दावाकर्ता ट्रैक्टर से संलग्न उस ट्राली में यात्रा कर रहा था जिसमें ईंट के भठ्ठे के लिए मिट्टी का वहन किया जा रहा था । उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि जब दावाकर्ता को क्षतियां कारित हुईं तब ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग, उस एकमात्र प्रयोजन, अर्थात् "कृषि कार्यों" के लिए नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए ट्रैक्टर बीमाकृत था । यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बीमा कंपनी प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं है तथापि, उसने बीमा कंपनी को बीमाकृत व्यक्ति/दावाकर्ता को प्रतिकर का संदाय करके और उसकी वसूली ट्रैक्टर के स्वामी से करने संबंधी अधिनिर्णय की तुष्टि करने का निदेश देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय में निहित शक्ति का अवलंब लिया ।

11. प्रस्तुत मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि "संदाय करने और वसूली करने" का फायदा देने से इनकार करने के लिए उच्च न्यायालय ने जिस बात को महत्व दिया वह **नेशनल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम

---

[1] (2008) 3 एस. सी. सी. 193.

[2] (2005) 12 एस. सी. सी. 243.

[3] (2007) 7 एस. सी. सी. 56.

पर्वतनेनी और एक अन्य[1] वाले मामले में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा बृहत्तर न्यायपीठ को किया गया निर्देश है, जिसमें उन विनिश्चयों की शुद्धता पर संदेह किया गया था जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए बीमा कंपनी को प्रतिकर की रकम का संदाय करने का निदेश दिया गया है हालांकि बीमा कंपनी का संदाय करने का कोई दायित्व नहीं है । **पर्वतनेनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह इंगित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत इस प्रकार के मामले नहीं आते हैं और यह कि "यदि बीमा कंपनी का संदाय करने का कोई भी दायित्व नहीं है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसके आदेश द्वारा उसे प्रतिकर की रकम का संदाय करने और बाद में उसे यान के स्वामी से वसूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।" **पर्वतनेनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में किए गए उक्त निर्देश का निपटारा तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा तारीख 17 सितम्बर, 2013 को कर दिया गया था, जिसमें विधि संबंधी प्रश्न का विनिश्चय किसी समुचित मामले में करने के लिए छोड़ दिया गया था ।

12. चूंकि **पर्वतनेनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में बृहत्तर न्यायपीठ को किए गए निर्देश का निपटारा विधि संबंधी प्रश्नों को किसी समुचित मामले में विनिश्चित करने के लिए छोड़ दिया गया है इसलिए वर्तमान में, **स्वर्ण सिंह** (उपर्युक्त) वाला विनिश्चय लागू रहेगा, जिसका अनुसरण **लक्ष्मी नारायण धूत** (उपर्युक्त) और अन्य मामलों में किया गया है । अधिकरण द्वारा पारित वह अधिनिर्णय, जिसके द्वारा बीमा कंपनी को यह निदेश दिया गया है कि वह दावाकर्ताओं को अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का संदाय करे और उसके पश्चात् उसे प्रश्नगत यान के स्वामी से वसूल करे, इस न्यायालय द्वारा **स्वर्ण सिंह** (उपर्युक्त) और **लक्ष्मी नारायण धूत** (उपर्युक्त) वाले मामलों में पारित निर्णय के अनुसार है । हमारी राय में, तब उच्च न्यायालय को अधिकरण द्वारा पारित उस अधिनिर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी को संदाय करने और यान के स्वामी से वसूल करने का निदेश दिया गया था । उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय, जिसके द्वारा बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त किया गया है और दावाकर्ताओं को यह निदेश दिया गया है कि वे यान के स्वामी से प्रतिकर वसूल करें, अपास्त किया जाता है और अधिकरण द्वारा पारित

---

[1] (2009) 8 एस. सी. सी. 785.

अधिनिर्णय प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

13. जहां तक यान के स्वामी से रकम की वसूली करने का संबंध है, बीमा कंपनी उसकी वसूली उसी प्रकार करेगी, जैसा कि **ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** बनाम **नंजाप्पन और अन्य**[1] वाले विनिश्चय में अभिनिर्धारित किया गया है, जहां इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह कि बीमाकृत व्यक्ति से उसकी वसूली करने के लिए बीमाकर्ता को वाद फाइल करने की आवश्यकता नहीं है । वह संबंधित कार्यपालक न्यायालय के समक्ष इस प्रकार कार्यवाही संस्थित कर सकेगा मानो बीमाकर्ता और स्वामी के बीच विवाद अधिकरण के समक्ष अवधारण की विषयवस्तु था और वह विवाद्यक स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में विनिश्चित किया गया है ।

14. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय, जहां तक उसका संबंध प्रतिकर को बढ़ाकर 4,94,700/- रुपए तक करने से है, अभिपुष्ट किया जाता है । जहां तक आक्षेपित निर्णय में दिए गए उस निदेश का संबंध है जिसमें अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं को यान से स्वामी के प्रतिकर की वसूली करने का निदेश दिया गया है, अपास्त किया जाता है और अपील भागतः मंजूर की जाती है । प्रथम प्रत्यर्थी बीमा कंपनी अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं को प्रोद्भूत ब्याज सहित वृद्धित प्रतिकर का संदाय करेगी और बीमा कंपनी उसकी वसूली यान के स्वामी से करेगी । खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

ग्रो.

---

[1] (2004) 13 एस. सी. सी. 224.